# The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023

-

**गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह):** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

**माननीय अध्यक्ष :** माननीय मंत्री जी, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

**श्री अमित शाह :** माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो आज, 18 साल की उम्र में देश के लिए बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की पुण्य तिथि है। मैं पूरे सदन के सामने शीश झुका कर उनको नमन करना चाहता हूं और उनकी स्मृति से प्रेरित होकर युगों-युगों के लिए जो युवा देश के लिए काम करेंगे, महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी का जीवन उन सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, इसका मुझे विश्वास है।

माननीय अध्यक्ष जी, आज एक ऐतिहासिक दिवस है। आज के ही दिन दादरा नगर हवेली का भारतीय संघ में विलय हुआ था और भारतीय संघ एक प्रकार से सम्पूर्ण राष्ट्र बना था।

माननीय अध्यक्ष जी, आज जब मैं यह तीन विधेयक लेकर आया हूं, उस वक्त आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो रहा है और आज़ादी के अमृत काल की शुरुआत होने का समय है। 15 अगस्त को आज़ादी का अमृत महोत्सव समाप्त होगा और 16 अगस्त से आज़ादी की 75 साल से 100 साल की यात्रा की शुरुआत होगी, जो निश्चित रूप से महान भारत की रचना करेगी।

महोदय, प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इस देश के सामने गत 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से अपना उद्बोधन देते हुए पाँच प्रणों को देश की जनता के सामने रखा था।

माननीय अध्यक्ष जी, ये पाँच प्रण में से एक प्रण था कि हम गुलामी की सभी निशानियों को समाप्त कर देंगे, हमारे मन से उस बोझ को दूर कर देंगे।

महोदय, आज मैं तीन विधेयक एक साथ लेकर आया हूं। वे तीनों विधेयक एक प्रकार से मोदी जी ने जो पाँच प्रण लिए हैं, उसमें से एक प्रण की अनुपालना करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, तीनों विधेयक, दंड विधान प्रक्रिया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मूलभूत कानून इन 3 विधेयकों के अंदर हैं। एक है इंडियन पीनल कोड, जो सन् 1860 में बनाया गया। दूसरा है क्रिमिनल प्रोसिजर कोड,

जो सन् 1898 में बनाया गया। तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट, जो सन् 1872 में बनाया गया है। ये तीनों कानून सन् 1860, 1898 और सन् 1872 में अंग्रेज़ों की संसद द्वारा पारित किए गए। इन तीनों पुराने कानूनों को समाप्त कर के तीन नए कानून पुर:स्थापित करने के लिए मैं सदन में आया हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, अब इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्टैब्लिश होगी। क्रिमिनल प्रोसीज़र कोड, 1898 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 प्रस्थापित होगी और इंडियन एविडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 प्रस्थापित होगी। जो कानून रिपील होंगे, उन कानूनों की जो आत्मा है, उन कानूनों का मध्य बिंदु यह था कि अंग्रेज़ी शासन को मज़बूत करने की दृष्टि से वे कानून बनाए गए थे। अंग्रेज़ी शासन की रक्षा करने के लिए ये कानून बनाए गए थे। उसका उद्देश्य दण्ड देने का था, न्याय देने का नहीं था। इन तीनों मूलभूत चीज़ों पर हम परिवर्तन करने जा रहे हैं। इन तीनों कानूनों को रिप्लेस करने के बाद इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी ? भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, उनकी सुरक्षा की जा सके। इन कानूनों का उद्देश्य किसी को दण्ड देना नहीं होगा। इन कानूनों का उद्देश्य सबको न्याय देना होगा। न्याय देने की प्रक्रिया में दण्ड वहीं होगा, जहां अपराध रोकने का बोध खड़ा करने की जरूरत है। अपराध रोकने के लिए एक प्रकार की भावना खड़ी करने की जरूरत है, वही होगा। मैं इन तीनों कानूनों के बारे में आगे बताता हूँ। मैं बड़े ध्यान से इस प्रक्रिया में शामिल रहा हूँ। सन् 1860 से ले कर वर्ष 2023 तक अंग्रेज़ और अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट के बनाए कानूनों के आधार पर इस देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता रहा। मैं सदन को आश्वस्त कर सकता हूँ कि इसकी जगह भारतीय आत्मा के साथ ये तीनों कानून अब प्रस्थापित होंगे और हमारे क्रिमनल जस्टिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह बिल स्टैंडिंग कमिटी को भेजने वाला हूँ। इसलिए मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, परंतु इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इन कानूनों को पढ़ा होगा, उन्होंने समझा होगा, इसकी प्रायोरिटी क्या थी? मानव की हत्या से या महिला के साथ दुराचार से बड़ा कोई कानूनी अपराध नहीं हो सकता है। लेकिन अंग्रेजों के बनाए कानूनों में इसको 302 नंबर पर स्थान दिया गया। इसके पहले क्या था? राजद्रोह था। इसके पहले क्या था? खजाने की लूट थी। इसके पहले क्या था? शासन के अधिकारियों पर हमला था। यह जो एप्रोच थी, उसको हम बदल रहे हैं। नए कानूनों में सबसे पहला चैप्टर ? महिलाओं और बालकों के साथ अपराध का आएगा। दूसरा चैप्टर - मानव वध और मानव शरीर के साथ जो अपराध होते हैं, उसका आएगा। इस तरह से हम शासन की जगह नागरिक को केंद्र में लाने का एक बहुत बड़ा सैद्धांतिक निर्णय कर के कानून ले कर आए हैं।

मान्यवर, इस कानून को बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया हमने की है। मोदी जी ने वर्ष 2019 में ही हम सबका मार्गदर्शन किया था कि अंग्रेज़ों के बनाए हुए जितने भी कानून, जिस विभाग में हैं, सभी कानूनों पर पर्याप्त चर्चा और सोच-विचार कर के इसको आज के समय के अनुरूप और भारतीय समाज के हित में बनाना चाहिए। वहीं से यह प्रक्रिया चालू हुई थी।

मान्यवर, इसके लिए ढेर सारी कन्सल्टेशन की प्रक्रिया हुई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर जगह पर व्यापक कन्सल्टेशन किया गया है। मैंने अगस्त 2019 में ही देश के सारे हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा था, सर्वोच्च अदालत के सारे न्यायधीशों को पत्र लिखा था, देश की सारी लॉ यूनिवसिर्टीज को पत्र लिखा था। वर्ष 2020 में थोड़ा बेस बनने के बाद मैंने सारे सांसदों को पत्र लिखा, सारे मुख्यमंत्रियों को लिखा, सारे राज्यपालों को लिखा, संघ शासित प्रदेश के प्रशासकों को लिखा और ढेर सारे कन्सल्टेशंस के बाद यह प्रक्रिया आज कानून बनने में सफल हुई है।

माननीय अध्यक्ष जी, इसका मुझे बहुत बड़ा संतोष है। बेजबरुआ समिति, विश्वनाथन समिति, मलीमथ समिति, माधव मेनन समिति और गृह मामले की स्थायी संसदीय समिति के वर्ष 2011, वर्ष 2005 और वर्ष 2006 की 111वीं रिपोर्ट, 110वीं रिपोर्ट, 146वीं रिपोर्ट तथा इन सारी रिपोर्ट्स का वृहद संकलन करके, सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसदों, सभी न्यायधीशों, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और लॉ यूनिवर्सिटीज से आए हुए सारे प्रस्तावों व सुझावों को कंसीडर करके, इसको लाइन बाई लाइन पढ़कर, यह विधेयक लेकर आज मैं सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट्स, पाँच न्यायिक एकैडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इस पर सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं, जिनको कंसीडर किया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, चार साल तक इस पर गहन विचार-विमर्श हुआ है। मैं जिनमें उपस्थित रहा हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड में की हैं। हमने इसको लाइन बाई लाइन पढ़ा है।

मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सी.आर.पी.सी. को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 433 धाराएं बचेंगी। 160 धाराओं को बदल दिया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आई.पी.सी. को रिप्लेस करेगी, इसमें पहले 511 धाराएं थीं। इसकी जगह 356 धाराएं होंगी। 175 धाराओं में बदलाव हुआ है। आठ नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। भारतीय साक्ष्य

अधिनियम, जो एविडेन्स एक्ट को रिप्लेस करेगी, इसमें 170 धाराएं होंगी, पहले 167 थी। 23 धाराओं में बदलाव किया गया है, एक नई धारा जोड़ी गई है और पाँच धाराएं निरस्त की गई हैं।

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि ये तीनों कानून गुलामी की निशानियों से भरे हुए थे। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था और हमने एडॉप्ट किया था। यहीं से शुरुआत होती है। आज जब सदन इसे पारित करेगा, तब ये कानून इससे निरस्त होंगे। उन कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे,जिसे मैं जरूर कहना चाहता हूं। इससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 सालों तक हम किन कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंसियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाई दी ग्राउण्ड रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गजट का जिक्र है, जूरी और बैरिस्टर का जिक्र है, जो हमारे यहां कब के चले गए। इसमें लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्ताव का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर-मैजेस्टी और बाई दी प्रिवी काउंसिल के हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज़ एंड स्ट्रैक्स कंटेन इन दी लंदन गैजेट के आधार पर कानून बनाया गया है। पोजिशन ऑफ दी ब्रिटिश क्राउन का जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन-इंग्लैंड का जिक्र भी 30 से ज्यादा जगहों पर है। हर-मैजेस्टी और डोमिनियन्स के इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र हैं।टोटल 475 जगह गुलामी की निशानियों को समाप्त करके आज हम एक नया कानून लेकर आए हैं।

अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नये युग को भी जोड़ने का प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लोगों की श्रद्धा उठ गई है। लोग कोर्ट में जाने से डर रहे हैं। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं है। मैंने बोला क्यों, क्योंकि कोर्ट में जाना itself punishment. इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में घर कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीकी को इसके अन्दर समाहित करने का निर्णय किया है। दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार करके इलेक्ट्रानिक या डिजिटल रिकार्ड, ईमेल, सर्वर लॉग्स, कंप्यूटर, स्मार्ट फोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, इन सभी को यह कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अदंर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे।

एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट, सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के

माध्यम से करने के लिए हम कुछ करते हैं, अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कान्फ्रेंस से हो सकती है। अब सम्पूर्ण ट्रॉयल, क्रॉस एग्जामिनेशन सहित, वह वीडियो कान्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच-पड़ताल और मुकदमे में साक्षियों की रिकार्डिंग जो करनी है, वह भी होगी। उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली सम्भव होगी।

माननीय अध्यक्ष जी, यह करने से पहले, इसमें न्याय के बारे में कोई कोताही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के इस विषय के सारे विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा करके, टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया है। सर्च और जब्ती के वक्त हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं, जिससे निर्दोष नागरिकों को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें आती हैं, मेरे यहां रख दिया गया, मेरे यहां था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपल्सरी किया है। वीडियोग्राफी अब केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकार्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखी जाएगी, वह वैध नहीं होगी। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम होता है। आजादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। इसीलिए, फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधान मंत्री जी ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वास्त करना चाहता हूं कि तीन साल के बाद हर साल 33 हजार फॉरेंसिंक साइंस के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट्स इस देश को मिलने वाले हैं। यह इसलिए किया गया कि यह कानून हम लेकर आने वाले हैं।

मान्यवर, इस कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेश्यो को 90 प्रतिशत से ऊपर लेकर जाना है। यह हमारा लक्ष्य है। इसलिए, हमने एक महत्पपूर्ण प्रावधान किया है कि सात वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिन धाराओं में है, उन सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपल्सरी कर रहे हैं। इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एवीडेंस पुलिस के पास होगा, जिससे कोर्ट में दोषियों के बरी होने की सम्भावना बहुत कम हो जाएगी। ये दोनों चीजें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। इस कानून में हमने यह भी प्रोविजन रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वह अप्लाई होगा। मान लीजिए, किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वह कोर्ट नोटिफाई कर सकते हैं, जिला में हो जाएगा तो जिला नोटिफाई कर सकते हैं, एक क्षेत्र हो जाएगा तो क्षेत्र नोटिफाई कर सकता है। अंततोगत्वा, 2027 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को नोटिफाई हो जाएगा।

इसी प्रकार से मोबाइल फॉरेंसिक वाहन का भी एडवांस में अनुभव कर लिया है। दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर किसी को भी सजा होती है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। इसका सफल प्रयोग हमने दिल्ली में कर दिया है। बेंगलुरु में सरकार बदल गई है, भगवान जाने अब क्या होगा। जब हमारी सरकार थी, तब बेंगलुरु में भी इसकी शुरूआत की थी। हमने मोबाइल एफएसएल कन्सेप्ट को लांच किया है और यह सफल कन्सेप्ट है। हर जिले में तीन मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुनाह स्थल पर जाएगी।

नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जीरो एफआईआर को आजादी के 75 साल बाद पहली बार लांच किया है। गुनाह कहीं पर भी हुआ है, किसी भी थाने का हो, हिमालय की चोटी या कन्याकुमारी के सागर से भी केस रजिस्टर कर सकते हैं। पुन: रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में संबंधित थाने को भेजना होगा, ई-एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा, जिसके परिवार जन में गिरफ्तारी हुई है, उसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में हैं और इसके लिए हम रेस्पोन्सिबल हैं।

कई बार पुलिस चार-पांच दिन तक पकड़ कर जवाब नहीं देती है। वहां से उनको कोर्ट में जाना है, इसकी जगह अब ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी होगी।

यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कम्पलसरी कर दिया गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में विडियो रिकॉर्डिंग भी अब कम्पल्सरी कर दिया गया है। पुलिस को 90 दिन में, जिसने फरियाद की है, उसका स्टेट्स देना कम्पलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसको स्टेट्स देना पड़ेगा और 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेट्स भेजना पड़ेगा।

7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास केस अगर विद्रा करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसे विद्रा नहीं कर पाएगी। इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी। पहली बार कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यह कई जगह प्रैक्टिस में है। लेकिन, अब इसके एक्ट के इंट्रोडक्शन कानून से होगा। सालों तक केस चलते नहीं हैं, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान किए हैं। छोटे-मोटे मामले में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को बीस हजार तक गुनाहों में ले लिया गया है। तीन साल तक जिसमें सजा है, वे सारी समरी ट्रायल से हो जाएंगे। एक ही प्रावधान से 40 प्रतिशत केस सेशन कोर्ट से बाहर होकर समरी ट्रायल से समाप्त होंगे।

मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी कहते रहते हैं कि आगे की जांच चालू है, छह साल तक जांच करते रहते हैं। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको

और 90 दिन की परिस्थिति देख कर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त करके ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा।

वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 दिन में देने के लिए कोर्ट बाध्य हो जाएंगे। चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकते, बहस पूरी होने के बाद 30 दिन में न्यायाधीश महोदय को अपना फैसला देना पड़ेगा, अब तीन-तीन साल तक फैसला पेन्डिंग नहीं रहेगा। कई सारे ऐसे जज थे, केस की सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में उनका ट्रांसफर हो जाता था या रिटायर्ड कर जाते थे और फिर से ट्रायल चलता था, अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा, फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा, जिससे इस पर कार्रवाई हो जाएगी। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस अफसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान के कारण उनको सुरक्षा मिली हुई थी कि सरकार की परमिशन के बगैर संज्ञान के चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकता था और सालों-सालों तक कोई परमिशन नहीं दी जाती थी। इसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंज्वाय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हां या न कह दे, वरना डीम्ड परमिशन मानी जाएगी और ट्रायल को फिक्स किया जाएगा।

मान्यवर, मैंने एक बहुत बड़ी दिक्कत देखी कि अगर एसपी होने के नाते किसी ने एक केस की जांच की होती है तो डीजीपी रिटायर होने के बाद भी केस चलने पर गवाही देने आता है। हमने इस प्रक्रिया में आमूलचूल परिवर्तन किया है, जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है, वही फाइल देखकर गवाही देगा, पहले की तरह उसे आने की जरूरत नहीं होगी। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि इसके कारण देर होती थी। हमने बारीकी से देखा कि ट्रायल किस चीज के कारण लेट होता है। सबसे ज्यादा लेट इसलिए होता है क्योंकि वह अब डीजीपी हो गए हैं। डीजीपी साहब के पास समय नहीं है, वह तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट होगी तब आएंगे। इस कारण डेढ़ साल तक गवाही नहीं होती थी, लेकिन, अब किसी भी रिटायर्ड डीजीपी साहब को बुलाने की जरूरत नहीं है। वहां जो एसपी है, वही फाइल देखेगा, क्योंकि उन डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं होता है, उनको भी तो फाइल देखकर कोर्ट को असिस्ट करना होता है। अब ऐसा नहीं है।

मान्यवर, अब घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का प्रावधान हो गया है। यहां यूपीए वाले नहीं हैं, वरना इस प्रावधान से उनको बहुत दिक्कत आती। हम घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी प्रावधान लाए हैं। हम इसमें संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं। अंतर्राज्यीय गैंग और संगठित अपराध के विरुद्ध एक

अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। हमने महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए ढेर सारे प्रावधान किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर यौन संबंध बनाने को अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेन्द्र मोदी जी की सरकार द्वारा लाया गया है। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सज़ा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग का बहुत शोर मचा है। हमने इसे केयरफुली देखा है। हम मॉब लिंचिंग के लिए सात साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड, तीनों का प्रोवीजन लाए हैं।

स्नैचिंग के लिए, चाहे मोबाइल फोन हो या महिलाओं की चेन हो, कोई प्रावधान नहीं था, इस कारण बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि पहले यह चोरी नहीं मानी जाती थी और स्नैचिंग का प्रावधान भी नहीं था, लेकिन अब स्नैचिंग का प्रावधान किया गया है।

मान्यवर, धारा 324 में कई बार गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी। मान लीजिए कोई अपाहिज हो, ब्रेन डैड हो लेकिन मृत्यु नहीं होती थी और पूरा पैर या हाथ कट जाता था तो भी सात साल की सजा दी जाती थी। अगर किसी को थोड़ी चोट लगती थी और ठीक होकर एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ गया तो भी सात साल की सजा दी जाती थी। अब हमने दोनों को अलग कर दिया है। अगर हमेशा के लिए अपंगता आती है या ब्रेन डैड होता है तो सजा को दस साल या आजीवन कारावास में बदल दिया है।

बच्चों के साथ अपराध करने वाले व्यक्तियों के लिए सजा को बढ़ाया गया है, इसे सात से दस साल किया गया है। पहले काफी कम जुर्माना था, अनेक प्रोवीजन्स में जुर्माने को बढ़ाने का काम भी किया गया है। अपराधी, जो भाग जाते थे, उनके लिए भी हम दस साल की सजा का प्रावधान लाए हैं। सजा माफी को पोलिटिकल यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी की सजा माफ करनी है तो मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, आजीवन कारावास की सजा को सात साल तक ही माफ कर सकते हैं, सात साल कारावास को तीन साल तक ही माफ कर सकते हैं।

अभी बिहार में कुछ मामले सामने आए हैं, किसी भी गुनाहगार को, किसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा, उनको भी सजा होगी। हम इसका भी प्रावधान लेकर आए हैं।

**13.00 hrs**

मान्यवर, अंग्रेजों ने अपने शासन को बचाने के लिए राजद्रोह पर कानून बनाया था। मैं इस सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि राजद्रोह को हम कम्प्लीटली रिपील कर रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, यानी सबको बोलने का अधिकार है। कानून में इसके साथ-साथ अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को चैलेंज करना आदि को कानून के अंदर किसी न तरह से तोड़-मरोड़कर जोड़ते थे। इसका कोई स्पेशल प्रॉविजन नहीं था। टेरेरिज्म की व्याख्या ही नहीं थी। पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार मिल रहा है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका ऑर्डर करेगा। कुर्की के ऑर्डर पुलिस अधिकारी नहीं कर पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, बल्कि कोर्ट में सुनवाई के बाद ऐसा होगा।

मान्यवर, अनुपस्थिति में ट्रॉयल का ऐतिहासिक फैसला भी हमने किया है। कई सारे केसों में दाऊद इब्राहिम वांटेड है। वह देश छोड़कर भाग गया। आज उस पर ट्रॉयल नहीं होती है। हमने यह तय किया है कि सेशन कोर्ट के जज ड्यू प्रोसीजर के बाद ऐसे लोगों को भगोड़ा घोषित करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में ट्रॉयल होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। दुनिया में चाहे वे कहीं भी छिपें, उनको सजा सुनाई जाएगी। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। यदि उस सजा के खिलाफ अपील करनी है, तो न्यायालय की शरण में आएं, अपने-आप को भारतीय कानून की शरण में लाएं, अदालत के सामने जाएं, तो हाईकोर्ट उसे रद्द कर सकता है।

मान्यवर, मैं सार्वजनिक जीवन में बचपन से रहा हूं। मैं राज्य का गृह मंत्री भी रहा हूं। मैंने बहुत सारे थाने विजिट किए हैं। बहुत सारे सदस्य भी थाने में गए होंगे। आपने देखा होगा कि वहां टूटी-फूटी गाड़ियां, मोटर साइकिल्स, ऑटो आदि सालों तक पड़े रहते हैं। सभी ने ऐसा देखा होगा। वे इसलिए पड़े हैं, क्योंकि कानून में प्रॉविजन है कि केस के निपटारे तक इसको संभालकर रखो। हमने प्रॉविजन कर दिया है कि इसकी वीडियोग्राफी करके, उसकी सर्टिफाइड कॉपी को कोर्ट में जमा करके फिर इसका निपटारा आप कर सकते हैं। इससे कम से कम पुलिस स्टेशन की स्वच्छता बनी रहेगी।

मान्यवर, मैंने तो अभी थोड़ा बताया है। इस प्रकार के ढेर सारे बदलाव इस कानून में हम लेकर आए हैं। कुल 313 बदलाव हैं। मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी न्यायिक दंड प्रक्रिया के अंदर आमूल-चूल परिवर्तन होगा और सबको ज्यादा से ज्यादा 3 सालों के भीतर न्याय मिलेगा। इसमें पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह किया गया है, वकीलों को भी जवाबदेह किया गया है और न्याय करने वाले के लिए भी मर्यादाएं रखी गई हैं। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। अपराधियों को सजा हो, इसकी चिंता की गई है और पुलिस अपने अधिकारों

का दुरुपयोग न कर पाए, इसका भी ध्यान रखा गया है। इसके अंदर राजद्रोह जैसे कानूनों को एक ओर जहां हम निरस्त कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर धोखा देकर महिला का शोषण करने वाले और मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराध करने वालों को दंडित करने का भी प्रावधान कर रहे हैं।

मान्यवर, एक ओर हमने राजद्रोह को रिपील किया है, तो वहीं दूसरी ओर संगठित अपराध और टेररिज्म पर नकेल कसने का काम भी हमने किया है। मैं मानता हूं कि ये तीनों संहिताएं अपने-आप में पूर्ण हैं, परन्तु सन् 1807, 1878 और 1888 से यह कानून प्रचलन में है। कोई भी व्यक्ति, डिपार्टमेंट या व्यक्तियों का समूह इसको कम्प्लीट नहीं कर सकता है, इसलिए मैं इस कानून को गृह विभाग की स्टैंडिंग कमेटी को देना चाहता हूं, जिससे पक्ष-विपक्ष के सभी संसद सदस्य इस पर अपने विचार रखें। इस पर काफी अच्छी तरह से सोच-विचार हो, बार काउंसिल भी चर्चा करे, बार एसोसिशन भी चर्चा करे, कुछ रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी भी चिंता करें। हम इसे लॉ कमीशन को भी भेजेंगे, ताकि लॉ कमीशन भी अपनी टिप्पणियां करे। कुल मिलाकर यह सब होने के बाद और इस विधेयक में उचित परिवर्तन करने के बाद मैं फिर से इस सदन में आऊंगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मैं विधेयक को पुर:स्थापित करूं तथा यह भी अनुरोध करता हूं कि विधेयक को जांच हेतु गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाए।

मान्यवर, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल कुछ पूछना चाहती हैं। इनको एक मिनट पूछ लेने दीजिए।

**माननीय अध्यक्ष:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

?कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर**:**स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा):** अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देती हूं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी कि जो लोग जेल की सजा काटने के बावजूद अभी भी जेल में 30-30 सालों से हैं, क्या उनके लिए इसमें कुछ प्रावधान है?

मेरा दूसरा सवाल यह है कि प्रैक्टिकली जमीनी स्तर पर यह हो रहा है कि घर-घर तक नशे पहुंच रहे हैं। जब घर वाले किसी को इस बारे में बताते भी हैं तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है?

**श्री अमित शाह:** जहां तक माफी का सवाल है, माफी अपराध के आधार पर देने का सम्पूर्ण वैधानिक प्रावधान है।

**श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :** सर, माफी नहीं, जिन्होंने सजा पूरी कर ली है, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है?

**श्री अमित शाह:** जहां तक सजा पूरी कर ली है और उसको छोड़ने की बात है तो सजा पूरी नहीं होती है, जन्मतीप होती है और अंतिम सांस तक होती है। इसको चौदह साल में करने का अधिकार जेल के अधिकारी के पास होता है। उस अधिकार के उपयोग के लिए भी गुनाह को देखकर वैधानिक अधिकार उसको दिए गए हैं।

**SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK):** Sir, I am very grateful to witness history in the making. For the last many years, as a journalist by profession, I have been repeatedly asking for change the IPC and also CrPC. During my last 25 years in this House, during Atal ji?s Prime Ministership, we had also deliberated on change of the Indian Evidence Act. Why is it necessary? To a certain extent, the then Home Minister, Mr. Advani ji had assured this House that they would be working on change of this Act, and today this is listed in the Supplementary List of Business, and the hon. Home Minister has brought in three Bills together to totally overhaul our law and justice system.

I would like to mention here one thing. Of course, it is mentioned as IPC in the Statement of Objects and Reasons. What does IPC stand for? It was not actually Indian Penal Code. Originally, it was Irish Penal Code, and Macaulay is the father of this IPC. A Law Committee was formed by the British Government in 1834. That means, it was formed during the East India company. In 1856, the British Crown came to power in India, and in 1860, this was implemented by just removing the word ?Irish? and putting in the word ?Indian? in the IPC. So, it was more like subjugation of the subjects by the ruling power.

Now, the hon. Home Minister has enunciated certain points, and it is going to the Standing Committee. Similar is the case about the Code of Criminal Procedure. The Government and the society have been feeling for quite some time, that contemporary needs should also be looked into, and that has been there. In the Indian Evidence Act of 1872. A comprehensive review of our criminal law was necessary, which has been done in this draft Bill.

I believe the Standing Committee on Home Affairs will go into all those details, and as the hon. Home Minister has very rightly mentioned, it is people-centric and not Government-centric or Administration-centric. In that respect, I believe that this is a good beginning. I am really grateful that I, including my party Members and perhaps all of us, are witness to history in making because after many years our wishes are being fulfilled. Thank you.

**माननीय अध्यक्ष:** प्रश्न यह है :

?कि आपराधिक प्रक्रिया से संबंधित विधि को समेकित और संशोधित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ।?

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।</u>

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

**श्री अमित शाह:** अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इन विधेयकों को गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया जाए।

---

-